[illegible] 21/2016)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आरएएस

प्रकरण :- राजस्व वाद संख्या 21 / 2024

1. आदराम पुत्र श्री लच्छीराम, जाति नाई, निवासी चक 5-ई छोटी, नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) (मृतक)
   - 1/1 मनोहरी देवी पत्नी स्व. श्री आदराम
   - 1/2 सुभाष चन्द्र पुत्र स्व. श्री आदराम
   - 1/3 रणधीर कुमार पुत्र स्व. श्री आदराम

   } जातियान नाई, निवासीगण 5 ई छोटी नाईयांवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. प्रेमकुमार पुत्र श्री नत्थूराम, जाति नाई, निवासी चक 5-ई छोटी, नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. भागीरथ पुत्र श्री लच्छीराम, जाति नाई, निवासी चक 5-ई छोटी, नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. मनीराम पुत्र श्री रामलाल, जाति नाई, निवासी चक 5-ई छोटी, नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
5. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामलाल, जाति नाई, निवासी चक 5-ई छोटी, नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
6. राजेन्द्र पुत्र श्री रामलाल, जाति नाई, निवासी चक 5-ई छोटी, नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

—वादीगण

बनाम

1. गुलशन पुत्र श्री मेहर चन्द, जाति अरोड़ा, निवासी चक 5 – ई छोटी, नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. सूरजमल पुत्र श्री रामकिशन, जाति अग्रवाल, निवासी चक 5-ई छोटी, नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
3. हंसराज पुत्र श्री गोपीराम, जाति ब्राह्मण (शर्मा), निवासी चक नाईयांवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

:: उपस्थित अभिभाषकगण ::

1. श्री विनोद कुमार भाटी — वादीगण
2. पेशकार राज श्रीगंगानगर — प्रतिवादी संख्या 4

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

(राजस्व)

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.03.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वादीगण के नाम से चक 5–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 69/61 में दर्ज कुल 1.893 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 के नाम 1789/9465 हिस्सा यानि 0.358 हैक्टेयर कृषि भूमि, वादी संख्या 2 के नाम 263/1893 हिस्सा यानि 0.097 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा वादी संख्या 3 के नाम 3577/18930 हिस्सा यानि 0.358 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 4 के नाम 971/18930 हिस्सा यानि 0.097 हैक्टेयर, इसी प्रकार वादी संख्या 5 के नाम 971/18930 हिस्सा यानि 0.097 हैक्टेयर, वादी संख्या 6 के नाम 971/18930 हिस्सा यानि 0.097 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार वादीगण के नाम से कुल 1.104 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में है। इस संयुक्त खाते में शेष कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम भिन्न–भिन्न हिस्सों में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित चक 5–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 69/61 की कुल 1.893 हैक्टेयर कृषि भूमि को इस वाद पत्र में आगे "वादाधीन भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है । उपरोक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि वादीगण की केवल वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से दर्ज है, परन्तु उक्त संयुक्त खाते के समस्त खातेदारों/सह– खातेदारों के द्वारा काफी वर्षो पूर्व वादाधीन कृषि भूमि का कब्जा अनुसार आपसी सहमति स्वरूप मौखिक विभाजन कर लिया गया है तथा कब्जा काश्त उसी अनुरूप चली आ रही है वादीगण के कब्जा काश्त में संयुक्त रूप से मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 16/3 में 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/4 की 0.111 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/1 की 0.182 हैक्टेयर, इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.352 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण के नाम से है तथा इसी खाता के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21, जो कि किला नम्बर 22 के साथ चिपता हुआ है, की तरफ 0. 127 हैक्टेयर तथा किला नम्बर 22 की 0.253 हैक्टेयर व किला नम्बर 22 के साथ किला नम्बर 23 के साथ चिपती हुई 0.194 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा किला नम्बर 22 के साथ चिपती हुई किला नम्बर 19 में 0.101 हैक्टेयर व किला नम्बर 19 व किला नम्बर 23 के साथ चिपती हुई किला नम्बर 18 में 0.077 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार इस खाता में कुल 1. 104 हैक्टेयर कृषि भूमि का कब्जा काश्त वादीगण के पास निर्विवाद रूप से संयुक्त रूप से चला आ रहा है जिसे वादीगण कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। वादाधीन कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण वादीगण को काश्त करने, उपयोग–उपभोग करने एवं अन्य कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त वादाधीन कृषि भूमि शहर के नज़दीक स्थित होने के कारण अत्यधिक मूल्यवान होने के कारण कब्जा अनुसार विभाजन करवाना अति आवश्यक हो गया है जिससे भविष्य में सह– काश्तकारों के मध्य किला विशेष की कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न न हो। इस कारण वादीगण वादाधीन कृषि भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्से का विभाजन कब्जा काश्त अनुसार करवा कर व उक्त मुरब्बा विशेष किला विशेष का अंकन अपने नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर खाता अलग करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी से उक्त वादाधीन कृषि भूमि का अपनी–अपनी कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवा कर खाता उसी अनुरूप पृथक–पृथक करवा कर जमाबन्दी में दर्ज करवाने हेतु कई बार मौखिक व्यक्ति रूप से निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण हर बार टालमटोल करते रहे तथा दिनांक 05.02.2024 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का प्राप्त है। वाद पत्र चक 5–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित कृषि भूमि की घोषणा एवं विभाजन का है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एवं उचित न्याय शुल्क पर, समयावधि में प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

([illegible] बनाम [illegible]
राजस्व वाद संख्या – 21/2026)

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण, विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार आदेशित एवं आज्ञाप्ति किया जावे:–

(क) यह कि इस अमर की प्रारम्भिक डिक्री विभाजन बहक वादीगण, विरुद्ध प्रतिवादीगण, वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक 5–ई छोटी, पटवार हल्का 4 एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 69/61 के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 16/2, 17/2, 18/2, 19/3 प्रत्येक में 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 21/2 में 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 22, 23 साबुत, किला नम्बर 24 व 25 प्रत्येक में 0.252 हैक्टेयर तथा इसी खाता के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 16/3 में 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/4 में 0.111 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/1 में 0.182 हैक्टेयर, अर्थात् कुल 1.893 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि मय खाता के सम्बन्ध में पारित की जाकर समस्त सह– काश्तकारों के हिस्से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निर्धारित किये जावें ।

(ख) यह कि प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने के पश्चात् तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में मौका पर वादीगण के कब्जा काश्त अनुसार अर्थात् वादीगण मौका पर चक 5–ई छोटी, पटवार हल्का 4– एम. एल., तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 69 / 61 के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 16/3 में 0.013 हैक्टेयर, किला नम्बर 16/4 की 0.111 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/1 की 0.182 हैक्टेयर, इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 23 की कुल 0.352 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा इसी खाता के मुरब्बा नम्बर 20 के किला नम्बर 21, जो कि किला नम्बर 22 के साथ चिपता हुआ है, की तरफ 0.127 हैक्टेयर तथा किला नम्बर 22 की 0.253 हैक्टेयर व किला नम्बर 22 के साथ किला नम्बर 23 के साथ चिपती हुई 0.194 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा किला नम्बर 22 के साथ चिपती हुई किला नम्बर 19 में 0.101 हैक्टेयर व किला नम्बर 19 व किला नम्बर 23 के साथ चिपती हुई किला नम्बर 18 में 0.077 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार इस खाता में कुल 1.104 हैक्टेयर कृषि भूमि संयुक्त रूप से दर्ज हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है तथा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर उसी अनुरूप उक्त कृषि भूमि को विभाजन में वादीगण को उनके नाम दर्ज हिस्से अनुसार प्रदान किये जाने की अन्तिम डिक्री जारी की जाकर पृथक–पृथक लगान निर्धारित किये जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का खाता पृथक कर अंकन किये जाने हेतु डिक्री पारित की जावे।

(ग) यह कि वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की विधिवत तामील होने एवम् प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वादीगण द्वारा अपना खाता विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद डिक्री किया जावे। वादीगण द्वारा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2075–2076 चक 5 ई छोटी, पटवार हल्का 4 एमएल, भू.अ.नि.क्षेत्र, श्रीगंगानगर, खाता संख्या 69/61 की प्रति पेश की गई। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि संयुक्त खाता की भूमि होने एवम् वादीगण अपना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद

Scanned with CamScanner

(अमवान आवराम बनाम गुलशन
राजस्व वाद संख्या :– 27/2024)

वादीगण प्रमाणिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 1256 दिनांक 06.03.2025 के विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में वकील वादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए मुताबिक प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

|| आदेश ||

वाद वादीगण मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :–

क.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	आदराम पुत्र लच्छीराम 0.3570 हैक., प्रेम कुमार पुत्र नत्थूराम 0.0972 हैक., भागीरथ पुत्र लच्छीराम 0.3577 हैक., मनीराम पुत्र रामलाल 0.0971 हैक., महेन्द्र पुत्र रामलाल 0.0971 हैक., राजेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल 0.0971 हैक. जाति नाई सा. 5 ई छोटी श्रीगंगानगर	चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/61 के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 18/2(0.077 हैक. पश्चिम दक्षिण हिस्सा), 19/3(0.101 हैक.), 21/2(0.127 हैक.), 22(0.253 हैक.), 23(0.194 हैक. पश्चिम हिस्सा) कुल 0.752 हैक्टर एवम् मुरबा नम्बर 23 के किला नम्बर 16/3(0.013 हैक.) 16/4(0.111 हैक.) 25/1(0.182 हैक.) 25/2(0.046 हैक.) कुल 0.352 हैक्टर यथा कुल 1.104 हैक्टर नहरी मय खाला
2	गुलशन पुत्र मेहरचंद 0.263 हैक., सूरजमल पुत्र रामकिशन 0.263 हैक., हेमराज पुत्र गोपीराम 0.263 हैक.,	चक 5 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/61 के मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 16/2(0.101 हैक.), 17/2(0.0101 हैक.), 18/2(0.027 हैक. पूर्वी उत्तरी हिस्सा), 23(0.059 हैक. पूर्वी हिसा), 24(0.252 हैक.), 25(0.252 हैक.) कुल 0.792 हैक्टर नहरी गैर मुमकिन

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.03.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)